न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **137/19 (वाद)**

GCMS No. : 2019/00292

1. श्री रतनसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
2. श्री सज्जनसिंह पिता केशरसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री श्यामसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
2. श्री मदनसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
3. श्री रघुवीरसिंह पिता चतरसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
4. श्री नरेन्द्रसिंह पिता चतरसिंह राजपूत निवसी बामणिया खेत तहसील मावली।
5. श्री डुलेसिंह पिता केशरसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
6. श्री प्रेमसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
7. श्री लालसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
8. लक्ष्मीकुंवर पुत्री खुमाणसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
9. बबुकुंवर पुत्री खुमाणसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
10. श्री गमेरसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
11. श्री लक्ष्मणसिंह पिता नवलसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
12. श्री गोपालसिंह पिता नवलसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
13. श्रीमती रूपकुंवर बेवा नवलसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
14. श्री भगवतसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
15. श्री नरेन्द्रसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
16. श्रीमती गंगाबाई बेवा प्रतापसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
17. श्री मानसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
18. श्री फतहसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:47 IST
Reason: SelfAttested

19. श्री हरिसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
20. श्री भंवरसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
21. श्री गुलाबसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
22. श्री मनोहरसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
23. धापुकुंवर पुत्री खुमाणसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
24. फुलकुंवर पुत्री खुमाणसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
25. पटवारी, पटवार हल्का डबोक तहसील मावली।
26. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री रजनीकान्त मेहता, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 02.12.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की आराजी नम्बर 296 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि में हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 16 एवं खातेदार वदनकुंवर पत्नी खुमाणसिंह के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 17 से 22 एवं खातेदार मु. लालीबाई बेवा जोरावरसिंह के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। खातेदार वदनकुंवर पत्नी खुमाणसिंह एवं मु. लालीबाई बेवा जोरावरसिंह का स्वर्गवास हो चुका हैं। वदनकुंवर के वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 से 9 व 23, 24 हैं। वाद वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 डुलेसिंह के नाम अंकित कुलिया 1/40 हक हिस्सा कृषि भूमि पर वर्ष 2005 से अर्थात् करीब 14 वर्षों से वादी संख्या 2 का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है क्योंकि वादी संख्या 2 ने गांव बामणिया खेत में स्थित अपनी खातेदारी की अन्य कृषि भूमि निहित हिस्से की कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 5 को दी थी जिसके बदले में प्रतिवादी संख्या 5 ने वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:47 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित आराजी नम्बर 296 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि में निहित अपना कुलिया हक हिस्सा अर्थात् 1/40 हक हिस्सा को वादी संख्या 2 को देकर मौके पर भौतिक एवं वास्तविक आधिपत्य सुपुर्द कर दिया और इसकी पुष्ठि में प्रतिवादी संख्या 5 ने दिनांक 19.06.2005 को स्टाम्प कीमती 50/– रूपये के स्टाम्प पर वादी संख्या 2 के पक्ष में इस आशय का एक इकरारनामा भी लिख दिया कि आराजी नम्बर 296 में मेरा सम्पूर्ण हिस्सा आप श्री सज्जनसिंह पिता केसरसिंह को सुपुर्द कर दिया है एवं भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया एवं इसके बदले आपके द्वारा निजी खरीदी हुई भूमि आराजी नम्बर 277 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा में 1/2 जो हिस्सा आपका था मेरे को आपके द्वारा सुपुर्द कर दिया हैं।'' इसके पश्चात् दिनांक 23.12.2005 को प्रतिवादी संख्या 5 ने वादी संख्या 2 के पक्ष में स्टाम्प कीमती 100/– रूपया पर आराजी नम्बर 296 एवं अन्य आराजीयात का हक त्यागपत्र लिखवाकर उस पर उभय पक्षकारान के फोटो लगवाकर अपने–अपने हस्ताक्षर गवाहों की मौजूदगी में कर दिये और गवाहों की साखे लगवा दी। इस प्रकार उक्त लिखापढी से वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 5 के सम्पूर्ण हक हिस्से की कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से अपने परिवारजन सहित काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा मौके पर वादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्से को अपने हिस्से की भूमि में मिलाकर एकचक बना रखा है लेकिन उक्त भूमि वादी संख्या 2 के नाम पर रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से वादी संख्या 2 को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड रहा हैं और इस भूमि का समुचित ढंग से विकास भी नहीं करवा सक रहा है इसलिए वादी संख्या 2 वाद वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्से को अपने खातेदारी हक की घोषित करवाकर अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार की हैसियत से अंकन करवाने का अधिकारी है इसलिए यह वाद पत्र माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

2. यह कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है जबकि हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हमारे बाप–दादाओं के समय से ही मौके पर मौखिक आपसी पांती बंटवाडा किया हुआ हैं और हम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:47 IST
Reason: SelfAttested

सभी अपने बाप–दादाओं के समय से अपने–अपने हक हिस्से मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है और हम वादीगण ने काफी लागत लगाकर एवं परिवार सहित परिश्रम कर अपनी कृषि भूमि को विकसित भी की हैं लेकिन वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में उक्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से हम वादीगण को अपने हिस्सा भूमि बाबत् ऋण आदि लेने, विकास करने, चार दिवारी करने, भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाने इत्यादि में काफी कठिनाईयों एवं परेशानियों का सामना करना पड रहा हैं। इसलिए उक्त वर्णित कृषि भूमि में हम वादीगण अपने नाम दर्ज हक हिस्सा कृषि भूमि का मौके पर कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली द्वारा कानूनी रूप से बंटवाडा कराया जाना आवश्यक है इसलिए हम वादीगण की ओर से माननीय न्यायालय आपमें यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

3. यह कि हम वादीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि वाद वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज कुलिया हक हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा वादी संख्या 2 को वर्ष 2005 में अदला–बदली में देकर मौके पर भौतिक आधिपत्य सौंप रखा है और वादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को अदला–बदली में दी गई कृषि भूमि को वर्ष 2005 में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम पर रेवेन्यु रेकार्ड में अंकित करवाकर मौके पर भौतिक कब्जा सुपुर्द कर रखा हैं। जिस पर आज भी प्रतिवादी संख्या 5 काबिज चला आ रहा है और प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा वादी संख्या 2 को दिये गये वाद वर्णित कृषि भूमि में निहित अपने हिस्से पर वादी संख्या 2 निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा हैं और प्रतिवादी संख्या 5 ने इसकी पुष्ठि में दिनांक 19.06.2005 को एक इकरारनामा स्टाम्प कीमती 50/– रूपया पर एवं दिनांक 23.12.2005 को एक हकत्याग पत्र स्टाम्प कीमती 100/– रूपया पर वादी संख्या 2 के पक्ष में लिखवाकर अपने हस्ताक्षर कर दिये और गवाहों की साखे भी लगवा दी लेकिन उक्त भूमि वादी संख्या 2 के नाम पर अंकित नहीं होने से वादी संख्या 2 को भारी कठिनाईयों एवं परेशानियों का सामना करना पड रहा है और वाद वर्णित कृषि भूमि का मौके पर कई वर्षों पूर्व ही आपसी पांती बंटवाडा कर रखा है

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:47 IST
Reason: SelfAttested

लेकिन वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में अंकित होने से भी हम वादीगण को भारी कठिनाईयों एवं परेशानियों का सामना करना पड रहा है इसलिए उक्त भूमि का कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार बंटवाडा किये जाने से एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम अंकित कुलिया हक हिस्से को वादी संख्या 2 के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज किये जाने से प्रतिवादी संख्या 5 या अन्य किसी भी सहखातेदार को कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी बल्कि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम अंकित भूमि को वादी संख्या 2 के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज नहीं किये जाने से तथा वादीगण के हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जेनुसार विधिक रूप से बंटवाडा नहीं होने से वादीगण को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी हम वादीगण के पक्ष में हैं।

4. यह कि हम वादीगण ने दिनांक 30.09.2019 को प्रतिवादी संख्या 5 को उसके नाम अंकित भूमि को वादी संख्या 2 के नाम पर कराने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 से 24 को उक्त भूमि का मौके पर कब्जे अनुसार कानूनी रूप से बंटवाडा कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 से 24 ने कोई जवाब नहीं दिया और प्रतिवादी संख्या 5 ने उसके नाम अंकित भूमि को वादी संख्या 2 के नाम पर कराने से इन्कार कर दिया जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्से का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार वादी संख्या 2 का नाम राजस्व रेकार्ड खेवट खतौनी जमाबन्दी में अंकन कराया जावें और प्रतिवादी संख्या 5 का नाम रेवेन्यु रेकार्ड से हटाया जावें। वाद वर्णित कृषि भूमि का जरिये तहसीलदार मावली द्वारा हम वादीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि का मौके पर कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार कृषि भूमि का विधिक रूप से बंटवाडा कर पृथक–पृथक रूप से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद कराये जाने व अलग से नक्शें में पृथक–पृथक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:47 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा पैमुद कराये जाने एवं इसी अनुपात में लगान का बरफाल फरमाये जाने की डिक्री प्रदान फरमाई जावें। अन्य दादरसी हम वादीगण कानूनन जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी है, वह प्रदान कराई जावें।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 24 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही होने से प्रकरण में साक्ष्य वादीगण प्रारम्भ की गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा साक्ष्य वादीगण गवाह पीडब्ल्यू 1 श्री सज्जनसिंह का शपथ पत्र पेश किया। गवाह पीडब्लयू 1 द्वारा दस्तावेज मौजा बामणिया खेत की नकल सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 242 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 प्रदर्श 2, मौजा बामणिया खेत का आंशिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3 करवाये गये। अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 296 पर दर्ज आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण तथा इनके मौरूस के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में वादीगण द्वारा अनरजिस्टर्ड इकरारनामा एवं अन रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम तो वादी द्वारा जिन दस्तावेजो के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई है, उन दस्तावेजो को प्रदर्श ही नही करवाया गया। ऐसे दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा देने के लिए न्यायालय बाध्य नही है। वैसे भी अनरजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर राजस्व न्यायालय को खातेदारी अधिकार देने का कोई अधिकार नही

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:47 IST
Reason: SelfAttested

है। इस संबंध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत का सद्भावनापूर्वक उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा जो इस प्रकार हैः–

RLW 2009(1) RJ Page No. 343
Board of revenue for Rajasthan
Jagdish vs Radhe Shyam & Ors.

"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88, 183, 207 सि.प्र.सं. आदेश 7 नियम 11 – अपंजीकृत करार के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करना–अभिनिर्धारित – अपंजीकृत करार के आधार पर दायर वाद को सुनने की अधिकारिता राजस्व न्यायालयों को नहीं है और न ही अपंजीकृत करार के आधार पर खातेदारी अधिकार अर्जित किये जा सकते है – इस आधार पर अधिकार एवं स्वत्व साबित करने के लिये अधिकारिता सिविल न्यायालयों में निहित है, अतः विनिर्दिष्ट अनुपालनार्थ वाद लाना ही होगा।"

आर.आर.डी. 14.08.2019
ओमप्रकाश बनाम रूकमणी देवी एण्ड अन्य (92)
Revision No. 2809/Sriganganagar of 2016 decided on 20th May, 2019

" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 224 – विचारण न्यायालय ने घोषणा का वाद डिक्री किया – अपीलीय न्यायालय ने उक्त आदेश की पुष्टि की – मण्डल में द्वितीय अपील– अभिनिर्धारित – विक्रय के इकरारनामे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती, इसी प्रकार विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं – दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त विधिक प्रस्थापित सिद्धान्त के उल्लंघन में आदेश पारित किया है जो गैर कानूनी होने से अपास्त किया गया तथा वादी का वाद खारिज किया गया।"

आर.आर.डी. पेज नम्बर 173
छोगा बनाम रामनाथ

" जब इकरारनामा रजिस्ट्रीकृत नही था, तो इससे वाद भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।"

आर.आर.टी. 2016(1) पेज नम्बर 723
रामप्रताप बनाम कमला बाई

"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 229 व 53 अपंजीकृत इकरारनामा पर वाद आधारित – स.अ.प्रा. ने खारिज किया और राजस्व मण्डल ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय यथावत रखा–निर्णय में बिन्दुओं का विस्तृत विवेचन किया – अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर अधिकार या स्वत्व प्राप्त नहीं होते–निर्णीत, याचिक खारिज होने योग्य है।''

2018 (2) आर.आर.टी. 1062
कजोड़ बनाम नारायण

''राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135 – नामान्तरकरण – भूमि का अन्तरण जिसका मूल्य 100 /– रूपये से अधिक है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा किया जा सकता है – निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष – नामान्तरकरण संख्या 1 विधि के प्रतिकूल खोला– निर्णित, समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप अस्वीकार किया।''

2014–15 (Supp.) आरआरटी पेज नम्बर 664
महेश बनाम अमरलाल

''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 88, 89, 90, 92–ए व 188–घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा–वादी के पक्ष में तनकी नं. 1 पर समवर्ती निष्कर्ष–अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि हस्तान्तिरित नहीं की जा सकती–दस्तावेज प्रदर्श 1ए व 5ए अनरजिस्टर्ड हैं–निचले न्यायालयों के त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष–वादीगण रेकॉर्डेड काश्तकार नहीं हैं और स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पात्र नहीं है–प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार स्वीकार नहीं किये जा सकते–निर्णीत, अपील गुणागणहीन है व खारिज की।'' (पैरा 7)

2019(1) आरआरटी पेज नम्बर 332
शंकर बनाम सुरेन्द्र सिंह रावत

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–धारा 100–स्थायी व आदेशात्मक निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद डिक्री किया तथा विवादित वाद सम्पत्ति पर निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश किया–अपीलाण्ट्स प्रतिवादीगण अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर स्वत्व का दावा कर रहे है जो कि अपीलाण्ट्स को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करता–प्रतिकूल कब्जा का अभिवाक् समवर्ती रूप से खारिज किया–असंगत बचाव अभिवाक्–निर्णीत, अपील गुणागुणहीन है व खारिज की। (पैरा 6,9,12)

Imp. Point :- Unregistered document do not confer any right or title.

2006(1) आरआरटी पेज नम्बर 190

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:47 IST
Reason: SelfAttested

"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 88–प्रतिकूल अधिपत्य के आधार पर घोषणा हेतु वाद पेश किया–वाद डिक्री हुआ किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने उल्टा किया तथा वादी का अधिपत्य पाया तथा टिप्पणी की कि वादी को बिना विधिक प्रक्रिया के बेदखल न किया जावे–वादी ने अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये 'एच.डी' से भूमि क्रय की तथा अधिपत्य सिपुर्द किया–भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अन्तरित नहीं की गई तथा अधिपत्य विक्रय करार के आधार पर है तथा वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए और अधिपत्य भी प्रतिकूल अधिपत्य नहीं कहा जा सकता–तनकी नं. 2 पर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष प्रतिकूल है–वादी का अधिपत्य अनुमति से है–निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय व डिक्री में अवैधता नहीं है व संपुष्टि की।" (पैरा 6,7,8)

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अनरजिस्टर्ड विक्रय इकरारनामे/हकत्याग के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। इस प्रकरण में वादी द्वारा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। क्योंकि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज की सत्यता के संबंध में प्रमाणिकता सिद्ध करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। ऐसे में उक्त दस्तावेज के आधार पर वादी सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर होकर मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री रतनसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
2. श्री सज्जनसिंह पिता केशरसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।

...........वादीगण

बनाम्

1. श्री श्यामसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
2. श्री मदनसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
3. श्री रघुवीरसिंह पिता चतरसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
4. श्री नरेन्द्रसिंह पिता चतरसिंह राजपूत निवसी बामणिया खेत तहसील मावली।
5. श्री डुलेसिंह पिता केशरसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
6. श्री प्रेमसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
7. श्री लालसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
8. लक्ष्मीकुंवर पुत्री खुमाणसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
9. बबुकुंवर पुत्री खुमाणसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
10. श्री गमेरसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
11. श्री लक्ष्मणसिंह पिता नवलसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
12. श्री गोपालसिंह पिता नवलसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
13. श्रीमती रूपकुंवर बेवा नवलसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
14. श्री भगवतसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
15. श्री नरेन्द्रसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
16. श्रीमती गंगाबाई बेवा प्रतापसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
17. श्री मानसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
18. श्री फतहसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:47 IST
Reason: SelfAttested

19. श्री हरिसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
20. श्री भंवरसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
21. श्री गुलाबसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
22. श्री मनोहरसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
23. धापुकुंवर पुत्री खुमाणसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
24. फुलकुंवर पुत्री खुमाणसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत तहसील मावली।
25. पटवारी, पटवार हल्का डबोक तहसील मावली।
26. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 137/19 (वाद)

GCMS No. – 2019/00292

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर होकर मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.12.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:47 IST
Reason: SelfAttested